परिपत्र संख्या 11/11/2017 - जीएसटी

फाइल संख्या 354/263/2017-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक , 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: मुद्रण अनुबंधों पर कर लगाने से संबंधित स्पष्टीकरण ।

इस बात को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि क्या किताबों, पम्फलैटों, ब्रोशरों, लिफाफों, वार्षिक रिपोर्टों, पर्चियों, कार्टन, डिब्बों आदि जिन पर डिजाइन, लोगों, नाम, पता या अन्य बातें मुद्रित हों कि आपूर्ति जो कि ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा की गई हो, की आपूर्ति को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का इक्यावन) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा या अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी (आर) में संलग्न सेवाओं के वर्गीकरण की योजना के शीर्ष 9989 के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा ।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि किताबों, पम्फलैटों, ब्रोशरों, लिफाफों, वार्षिक रिपोर्टों, पर्चियों, कार्टन, डिब्बों आदि जिन पर डिजाइन, लोगों, नाम, पता या अन्य बातें मुद्रित हों की ऐसी मुद्रित वस्तुओं के प्राप्तकर्ता के द्वारा की गई आपूर्ति को संयुक्त आपूर्ति माना जाता है और यह प्रश्न की क्या यह आपूर्ति वस्तु की आपूर्ति है या सेवाओं की आपूर्ति है इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य आपूर्ति कौन सी है ।

3. मुख्य आपूर्ति को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 2 (90) के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जो कि संयुक्त आपूर्ति का अधिभावी अव्यव है और वह आपूर्ति जो कि इस संशित आपूर्ति का एक हिस्सा मात्र है सहायक आपूर्ति मानी जाएगी ।

.....2/-

4. किताबों, पम्फलैटों, ब्रोशरों, वार्षिक रिपोर्टों और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का मुद्रण जिसमें की कोई प्रकाशक या कोई व्यक्ति केवल विषय वस्तु की आपूर्ति करता है जो कि अमूर्त वस्तुओं पर केवल प्रयोग का अधिकार रखता है जबकि भौतिक वस्तुओं में जिसमें कि मुद्रण का पेपर भी आता है मुद्रक की होती हैं के मामले में यह माना जाएगा कि मुद्रण की आपूर्ति (आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई विषयवस्तु) ही मुख्य आपूर्ति है और ऐसी आपूर्ति सेवाओं के वर्गीकरण की योजना के शीर्ष 9989 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति मानी जाएगी ।

5. मुद्रित लिफाफों, लेटर कार्डस, प्रिंटिड डिब्बें, टीशूज, नैपकिन , वॉल पेपर आदि जो कि अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आते हैं, जिन पर डिजाइन, लोगो आदि मुद्रित होते हैं और माल के प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाती है लेकिन इनको भौतिक वस्तुओं द्वारा बनाया जाता है जिनमें वे मुद्रण पेपर भी आते हैं जो कि मुद्रक के होते हैं की आपूर्ति के मामले में वस्तुओं की आपूर्ति को मुख्य आपूर्ति मान जाएगा और विषय वस्तु के मुद्रण की आपूर्ति को (जो कि आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई हो) को वस्तुओं के मुख्य आपूर्ति की सहायक आपूर्ति माना जाएगा और इस प्रकार ऐसी आपूर्ति को सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 48 या 49 के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा ।

6. इस परिपत्र के लागू होने पर यदि कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीया,

(रचना)
टेक्निकल ऑफिसर (टीआरयू)
ई-मेल : rachna.irs@gov.in